

अनुदान संख्या 33 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 33 - INDIRECT TAXES

		कूल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	50,00	..	-50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			50,00
स्वीकृत—	Voted-	7820,00,00	7168,11,05	-651,88,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			563,98,22
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	438,00,00		
		438,02,00	216,10,36	-221,91,64
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			197,63,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹50.00 लाख का विनियोग तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	230945.00	211130.38	206498.69	-4631.69
पु.	R.	-19814.62			
मुख्य शीर्ष "2042"	Major Head "2042"				
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर और एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated Goods and Services Tax				
मू.	O.	548755.00	513071.40	509248.72	-3822.68
पु.	R.	-35683.60			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	2300.00	1400.00	1063.64	-336.36
पु.	R.	-900.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राजस्व - सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य बंदरगाह" - ₹7837.61 लाख की बचत (₹81308.64 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, निर्माण कार्यकलापों में रुकावट/मंदी होने, किराए संबंधी करार को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा समूह 'ख' अधिकारियों के लिए लैपटोप की खरीद के प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(खा) निवारात्मक तथा अन्य कार्यकलाप" -

(I) Under Major Head "2037" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs- Major Ports" - saving of ₹7837.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹81308.64 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, halt/slowdown of construction activities, non-finalization of rent agreement and non-materialization of proposal for purchase of laptops for Group 'B' officers.

(B) "Preventive and Other Functions" -

- (क) “समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन” – ₹12200.78 लाख की बचत (₹121877.36 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, निर्माण कार्यकलापों में रुकावट/मंदी होने, पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा समूह ‘ख’ अधिकारियों के लिए लैपटोप की खरीद के प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।
- (ख) “संभारिकी निदेशालय” – ₹1605.93 लाख की बचत (₹4530.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, समूह ‘क’ अधिकारियों के लिए लैपटोप की खरीद के प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिए जाने, निर्माण कार्यकलापों में रुकावट/मंदी होने, कम दौरे किए जाने तथा कोविड-19 महामारी के कारण कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ग) “राजस्व आसूचना निदेशालय” – ₹2912.94 लाख की बचत (₹16491.95 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, आईटी उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यकलापों में मंदी होने के कारण हुई।
- (II) मुख्य शीर्ष “2042” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (क) “निदेशन और प्रशासन” –
- (क) “कार्य-निष्पादन प्रबंधन” – ₹1265.35 लाख की बचत (₹14140.14 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने और किराया संशोधन मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।
- (a) “Sea Customs - Major Ports” - saving of ₹12200.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹121877.36 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, halt/slowdown of construction activities, non-finalization of reward cases and non-materialization of proposals for purchase of laptops for Group 'B' officers.
- (b) “Directorate of Logistics” - saving of ₹1605.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4530.85 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-materialization of proposal for purchase of laptops for Group 'A' officers, halt/slowdown of construction activities, less tours undertaken and receipt of less medical claims owing to COVID-19 pandemic.
- (c) “Directorate of Revenue Intelligence” - saving of ₹2912.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16491.95 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, non-finalization of reward cases, requirement of less funds towards purchase of IT equipments and slow down of construction activities owing to COVID-19 pandemic.
- (II) Under Major Head “2042” - savings occurred under the following heads:-
- (A) “Direction and Administration” -
- (a) “Performance Management” - saving of ₹1265.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14140.14 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken and non-finalization of rent revision cases.

- (ख) “राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा स्वापक अकादमी” – ₹3379.49 लाख की बचत (₹10028.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण महंगाई – भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, किराया संशोधन मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों व प्रत्यक्ष बैठकों का कम आयोजन होने के कारण हुई।
- (ग) “सतर्कता” – ₹726.06 लाख की बचत (₹4712.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, किराया संशोधन मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कम दौरे किए जाने और कम प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “करदाता सेवा महानिदेशालय” – ₹9141.35 लाख की बचत (₹12249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, प्रचार तथा विज्ञापन कार्यक्रमों को मंजूरी न मिलने और कम दौरे किए जाने की वजह से हुई।
- (ङ) “वस्तु तथा सेवाकर आसूचना महानिदेशालय” – ₹710.09 लाख की बचत (₹15893.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, किराया संशोधन मामलों तथा पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।
- (ख) “संग्रहण प्रभार” –
- (क) “आयुक्तालय” – ₹30862.24 लाख की बचत (₹427236.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/विज्ञापन अभियान आयोजित किए जाने, शौचालयों की परियोजना के निर्माण कार्यकलापों में रुकावट/मंदी होने तथा कोविड-19 महामारी के कारण स्वच्छता प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।
- (b) “National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)” - saving of ₹3379.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10028.75 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, non-finalization of rent revision cases, conduction of less training programmes and physical meetings owing to COVID-19 pandemic.
- (c) “Vigilance” - saving of ₹726.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4712.50 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-finalization of rent revision cases, less tours undertaken and conduction of less training programmes.
- (d) “Directorate General of Tax Payer Services” - saving of ₹9141.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12249.00 lakhs) - was due to freezing of dearness allowance, non-clearance of Advertising and Publicity campaign and less tours undertaken.
- (e) “Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence” - saving of ₹710.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15893.00 lakhs) was due to less tours undertaken, non-finalization of rent revision cases and reward cases.
- (B) “Collection Charges” -
- (a) “Commissionerates” - saving of ₹30862.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹427236.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, less training programmes/advertisement campaigns, halt/slow down of construction activities of project of toilets and less receipt of Swacchta proposals owing to COVID-19 pandemic.

(ख) “प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर)” – ₹1775.06 लाख की बचत (₹8190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने और समूह ‘ख’ अधिकारियों के लिए लैपटोप की खरीद के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “अन्य व्यय – अन्य मदें” – ₹1559.21 लाख की बचत (₹3010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यकलापों में रुकावट/मंदी के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2216” – “अन्य आवास – अनुरक्षण तथा मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय” के अंतर्गत – ₹1236.36 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यकलापों में रुकावट/मंदी होने तथा कम वार्षिक अनुरक्षण बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1083.55 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और परंतु ₹500.00 लाख से कम थीं तथा स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत से 43 प्रतिशत थीं।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष “2037” – “राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यकलाप – केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला” के अंतर्गत – ₹576.88 लाख का अधिक व्यय (₹3109.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों की खरीद करने तथा उन्हें विभिन्न राजस्व प्रयोगशालाओं में स्थापित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष “2042” – “निदेशन और प्रशासन – सिस्टम तथा डेटा प्रबंधन” – ₹10690.53 लाख का अधिक

(b) “Pay & Accounts Offices (Central Goods & Service Tax) of Principal Chief Controller of Accounts, CBIC” - saving of ₹1755.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8190.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, conduction of less training programmes and non-materialization of proposals for purchase of laptops for Group ‘B’ officers.

(C) “Other Expenditure - Other items” - saving of ₹1559.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3010.00 lakhs) was due to halt/slowdown of construction activities owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head “2216” - “Other Housing - Maintenance and Repair - Other Maintenance Expenditure” - saving of ₹1236.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to halt/slow down of construction activities owing to COVID-19 pandemic and receipt of less annual maintenance bills.

(IV) Under three heads savings of ₹1083.55 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 22 percent to 43 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were offset by excess under the following heads: -

(I) Under Major Head “2037” - “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Central Revenue Control Laboratory” - excess of ₹576.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3109.20 lakhs) was due to requirement of additional funds towards instruments purchased and installed in different Revenue laboratories.

(II) Under Major Head “2042” - “Direction and Administration - Systems and Data Management” -

व्यय (₹50843.71 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं अर्थात् एसआई परियोजनाओं (सक्षम पीएमयू तथा टीपीए), एंटरप्राइज डेटाबेस वेयरहाउस परियोजनाओं और आईसीईजीएटीई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

excess of ₹10690.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50843.71 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing projects viz. SI projects (Saksham PMU and TPA) Enterprise Database Warehouse projects and ICEGATE projects.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following heads: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head				
मुख्य शीर्ष "4047"	Major Head "4047"				
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	10500.00			
पु.	R.	-9940.00	560.00	548.57	-11.43
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	15000.00			
पू.	S.	1.00	7923.00	6221.03	-1701.97
पु.	R.	-7078.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	18300.00			
पू.	S.	1.00	15556.00	14840.76	-715.24
पु.	R.	-2745.00			

(I) ₹1.00 लाख का पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक तथा अन्य कार्य" के अंतर्गत ₹9951.43 लाख की बचत

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Preventive & Other Functions" - saving of ₹9951.43

(₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एंटी – स्मगलिंग उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन” –

(का) “भूमि का अधिग्रहण – सीमा शुल्क तथा सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण” – ₹1490.09 लाख की बचत (₹1493.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “निर्माण – सीमा शुल्क तथा सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण” – ₹7757.68 लाख की बचत (₹13487.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – सीमा शुल्क तथा जीएसटी कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – सीमा शुल्क तथा सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए आवासीय भवनों का निर्माण” के अंतर्गत – ₹3459.24 लाख की बचत (₹18300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यक्रमों में रुकावट/मंदी होने तथा नई परियोजनाएं मंजूर न किए जाने के कारण हुईं।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹470.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण – सीमा शुल्क तथा सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण – आयुक्तालय” के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹467.80 लाख था।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for acquisition of anti-smuggling equipment.

(III) Under Major Head “4059” - “Office Buildings” -

(A) “Acquisition of land - Acquisition of Land for construction of Office Building for Customs and CGST Commissionerate” - saving of ₹1490.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1493.00 lakhs); and

(B) “Construction - Construction of Office Building for Customs & CGST Commissionerate” - saving of ₹7757.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13487.00 lakhs).

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and GST Employees - Construction of Residential Buildings for Customs & CGST Commissionerate” - saving of ₹3459.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18300.00 lakhs)

Savings under the above three heads were due to halt/slowdown of construction activities owing to COVID-19 pandemic and non-sanctioning of some projects.

5. The above savings were partly (₹470.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “4059” - “Office Buildings - Acquisition of Ready Built Accommodation - Acquisition of Ready Built Accommodation for Customs and CGST Commissionerate”. Actual excess, however, was ₹467.80 lakhs.